न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–45/2012/भीलवाड़ा (2012/00037)

1. ऊंकार पुत्र गुलाब, जाति माली, निवासी नेहरू रोड़, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बनेड़ा, जिला भीलवाडा ।
2. डेविस एण्ड व्वाईट इंडिया प्रा0लि0, देहली ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, मूशी, पंचायत, समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 10.1.2012 अंतर्गत अपील संख्या 10/2011.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एस0 शेखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 पैरोकार सरकार ।
3. रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.1.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बनेड़ा ने ग्राम पंचायत, मूशी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, मुशी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में आराजी संख्या 19,20, 21, 22, 23, 25, 1487/240 कुल किता 7 रकबा 104 बीघा 2 बिस्वा भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 7.1.2011 के क्रम में पारित किया गया है किन्तु विवादित भूमि सीलिंग से प्रभावित होने के कारण विक्रय पत्र प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने से इसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण भी प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी है । अतः

नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को निरस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 10.1.2012 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5. 2011 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 एवं 3 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने विवादित आराजियात को कुर्की से मुक्त करा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 135–सी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विवादित आराजियात का विक्रय किया जाता है उसके आधार पर नामांतकरण पारित किया जा सकता है । उपखण्ड अधिकारी के समक्ष यदि रेस्पो0 संख्या 1 की सीलिंग की कार्यवाही विचाराधीन थी तो अधी0न्याया0 को रेस्पो0 संख्या 1 की अपील की कार्यवाही की प्रोसिडिंग को स्थगित कर देना चाहिये था परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 563 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि जब नामांतकरण तस्दीक हुआ उस समय नामांतकरण की कार्यवाही सीलिंग सीमा संबंधित कोई नोट नहीं लगा हुआ था । ग्राम पंचायत ने कोरम / वार्ड पंचों के समक्ष सारी कार्यवाही संपादित करते हुए नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को स्वीकृत किया है जो भू–राजस्व अधि0 के प्रावधानुसार सही था । अधी0न्याया0 ज्यादा से ज्यादा प्रकरण को जांच हेतु रिमाण्ड कर सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 ने नामांकरण को अपास्त कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को बहाल रखा जावे ।

4- विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात सीलिंग से प्रभावित होने के कारण विवादित भूमि का रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र ही प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी था जिससे विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण भी विधिविरूद्ध होने से अधी0न्याया0 ने अपास्त करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 का अवलोकन किया गया । नामांतकरण संख्या 563 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि ''उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सीलिंग से प्रभावित है''। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट दिनांक 14.3.2011 को भूमि सीलिंग से प्रभावित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा में प्रकरण विचाराधीन होना अंकित किया है । एवम उपपंजीयक, भीलवाड़ा ने भी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन दस्तावेज की वैधता अंकित की है । उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है क विवादित भूमियां सीलिंग से प्रभावित थी जिससे अपीलांट के पक्ष में किया गया विक्रय ही प्रारंभ से शून्य एवं निष्प्रभावी था तथा ऐसे विक्रयपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत, मुशी द्वारा अपीलांट के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट था कि ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 563 विवादित होने से ग्राम पंचायत को नामांतकरण स्वीकृत करने का विधिक अधिकार नहीं था परन्तु इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 563 तस्दीक किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत नामांतकरण संख्या 563 दिनांक 20.5.2011 को अपास्त करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.1.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 45/2012 (2012/00037) बउनवानी ऊंकार बनाम राजस्थान सरकार को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2011 बउनवान राज0 सरकार बनाम ऊंकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.1.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 12:02:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: